राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित)
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, बांदरसिन्दरी, जिला अजमेर–305817

वाहन को किराए पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु

खण्ड–1
निविदा सूचना

1.1 विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार मासिक/दैनिक/घंटों के आधार पर वाहनों को किराए पर लेने हेतु (इन्नोवा/इटिओज़/डिज़ायर/इंडिगो/अर्टिका/टवेरा/स्कोर्पियो/ज़ायलो/बोलेरो) निविदा आमंत्रित करता है। प्रारंभिक रूप में वाहनों को किराए पर लेने की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। यद्यपि यदि संविदाकार की सेवाएं संतोषप्रद पायी जाती है तो संविदा अवधि को एक अन्य वर्ष के लिए समान दरों और शर्तों के आधार पर आपसी करार के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। इच्छुक पार्टियां/सेवा प्रदाताएं निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ (1) तकनीकी बोली संलग्नक 1 अनुसार (2) वित्तीय बोली संलग्नक 2 (A & B) अनुसार अपने कोटेशन भेज सकते हैं।

1.2 तकनीकी बोली के साथ 5000/– रूपये की बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा के लिए 500/– रूपये का आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में तथा किशनगढ़/बांदरसिंदरी शाखा पर देय अवश्य भेजी जाए।

1.3 निविदा दिनांक 27.01.2017 दोपहर 2 बजे तक या उससे पूर्व निम्नलिखित पते पर अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

कुलसचिव
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, बांदरसिंदरी,
जिला अजमेर–305817

1.4 तकनीकी बोली संलग्नक 1 तथा वित्तीय बोली संलग्नक 2 (A & B) संविदाकार द्वारा दो अलग अलग बंद लिफाफों में पूर्ण रुप से अंकित होनी आवश्यक है और ये दोनों बंद लिफाफे एक अलग बड़े लिफाफे में बंद होने चाहिए। जिस पर ''किराए पर वाहन लेने हेतु निविदा'' अंकित होना चाहिए।

1.5 तकनीकी बोली एक निविदा समिति द्वारा उसी दिन दिनांक 27.01.2017 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदाकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। संविदा देने से पूर्व द्वितीय चरण में वित्तीय बोली हेतु तकनीकी बोली में उत्तीर्ण निविदाकारों की निविदाओं को आगे के मापन एवं रैंक निर्धारण हेतु खोला जाएगा।

खण्ड–2
सामान्य नियम व शर्तें

2.1 सभी वाहन आवश्यक रूप से वर्ष 2012 अथवा उसके बाद के मॉडल होने चाहिए।

2.2 वाहन की उपलब्धता अवश्य ही 24x7 आधार पर चिकित्सीय रूप से स्वस्थ चालकों के साथ होनी चाहिए।

2.3 किराए की अवधि के दौरान वाहन पूर्णतयाः राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बांदरसिंदरी, किशनगढ़ के नियंत्रण में होगा।

2.4 आवश्यकता पड़ने पर वाहन का अर्न्तराज्यीय उपयोग भी किया जाएगा।

2.5 निविदाकार को सेवा कर संख्या भी प्रदान करनी होगी। यदि किसी निविदाकार के पास सेवा कर संख्या नहीं है तो उसे कार्य आदेश केवल उसी आधार पर दिया जाएगा कि वह कार्य शुरू करने से पहले सेवा कर संख्या विश्वविद्यालय को प्रदान करें।

निविदाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

2.6 प्रारंभिक रूप में वाहनों को किराए पर लेने की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। यद्यपि यदि संविदाकार की सेवाएं संतोषप्रद पायी जाती है तो संविदा अवधि को एक अन्य वर्ष के लिए समान दरों और शर्तों के आधार पर आपसी करार के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

2.7 दरों की कोटेशन संलग्न प्रपत्र–2 (A & B) में भरी होनी चाहिए।

2.8 निविदाकार को 5000/– रूपये की बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में तथा किशनगढ़ /बांदरसिंदरी शाखा पर देय जमा करनी होगी।

2.9 बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)

सभी असफल निविदाकारों के बयाना राशि को बोली की अवधि की समाप्ति पर और कार्य आदेश के जारी होने के उपरान्त जितनी जल्दी हो लौटा दिया जाएगा। जमा बयाना राशि पर कोई भी ब्याज विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

जमा बयाना राशि की जब्ती

जमा बयाना राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जाएगाः–

i. जमा बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा और निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा यदि निविदाकार ने निविदा दस्तावेज में नियत समय अवधि में और या निविदा के खुलने के उपरांत किसी भी हालत में छेड़छाड़ की हो.

ii. कार्य आदेश के जारी होने के उपरांत यदि निविदाकार सुरक्षा राशि जमा नहीं करता है.

iii. यदि सफल निविदाकार आदेश की पुष्टि उपरांत नियत समयावधि में वाहन प्रदान करने में असफल होता है तो विश्वविद्यालय को पूरा अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय में जमा बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) को जब्त कर ले.

iv. यदि सूचना/प्रमाणपत्र/दस्तावेज किसी भी हालत में किसी भी स्तर पर झूठा पाया जाये.

v. यदि वेबसाईट से डाउनलोड के बाद निविदा दस्तावेज के साथ किसी भी हालत में कोई भी छेड़छाड़ या तब्दीली की गई हो.

2.10 निविदाकार को लिखित रूप में एक वचनबध पत्र देना होगा कि वह सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है.

2.11 संविदा अवधि के दौरान मासिक आधार पर लिए गए वाहनों को विश्वविद्यालय कार्यों के उपयोग में लाया जाएगा। सिर्फ माह में एक दिन के लिए नियमित अनुरक्षण हेतु भेजा जा सकता है।

2.12 विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए निविदा को या किसी निश्चित वाहन को कार्य में लेना स्थगित कर दे.

2.13 500/– रूपये का निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में तथा किशनगढ़ शाखा पर देय अवश्य संलग्न होना चाहिए अन्यथा ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा.

खंड–3
संविदा के नियम व शर्तें

3.1 वाहनों के संचालन, रखरखाव व अनुरक्षण हेतु सभी खर्च, ईंधन, ल्युब्रीकेन्ट्स, ड्राइवरों के वेतन, करों आदि की राशि के भारों का वहन संविदाकार को करना होगा।

3.2 सभी चालकों के पास वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए तथा इनके प्रमाण संविदाकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

3.3 चालकों के आचरण हेतु संविदाकार पूर्णतया जिम्मेदार होंगे और किसी भी वक्त यदि कोई भी चालक विश्वविद्यालय के विरूद्ध कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उस चालक को लौटा दिया जाएगा और उसके बदले किसी अन्य चालक को रखा जाएगा जो विश्वविद्यालय को बिना कोई अतिरिक्त राशि दिए प्रदान किया जाएगा।

निविदाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

3.4 संविदाकार कोई भी ऐसा वाहन नहीं प्रदान करेगा जो एलपीजी/सीएनजी पर संचालित होती हो।

3.5 सभी किराए पर लिए गए वाहन पूर्णतः विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होंगे और जब उपयोग में नहीं होंगे तो राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर ही खड़े किए जाएंगे।

3.6 यदि वाहन पूरे दिन के लिए किराये पर लिया जाता है तो उस स्थिति में वाहन को आवश्यकतानुसार किशनगढ़/अजमेर/जयपुर लोकल में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपयोग में लिया जा सकता है।

3.7 यदि राज्य के बाहर ले जाने के लिए वाहन की आवश्यकता है तो निविदाकार को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

3.8 एक अतिथि के लिए किराये पर लिए गए वाहन को उसी दिन की समय सीमा के भीतर किसी अन्य अतिथि/अतिथियों के लिए भी आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया जा सकता है।

3.9 यदि वाहन एक से अधिक दिन के लिए किराये पर लिया जाता है तो किलोमीटर को कुल में जोड़ा जाएगा ना कि प्रतिदिन के हिसाब से।

3.10 विवाह, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान निविदाकार किसी भी स्थिति में वाहन उपलब्ध कराने के लिए मना नहीं कर सकता व हर स्थिति में वाहन उपलब्ध कराना निविदाकार की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी।

3.11 निविदाकार को वाहन की बुकिंग के समय वाहन चालक व वाहन की पूर्ण जानकारी देना सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चालक वाहन के साथ निर्धारित स्थान व समय पर पहुंचे हैं या नहीं।

3.12 वाहन राज्यमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाने हेतु पूरी तरह सभी एसेसरीज के साथ फिट होने चाहिए। रात्रि में कोहरे युक्त क्षेत्रों में चलाने हेतु वाहन में फॉग लाईट का भी इंतजाम होना चाहिए।

3.13 वाहन टोइंग हुक्स के साथ भी फिट होने चाहिए।

3.14 संविदाकार सक्षम प्राधिकारी से वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, व्यापक बीमा, सड़क कर का भुगतान, अंतर्राज्यीय परमिट इत्यादि प्राप्त करेगा।

3.15 वाहन स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी अंकुश के बगैर पड़ोसी राज्यों में जाने योग्य होनी चाहिए।

3.16 संविदाकार संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त वैध प्रदूषण जांच संबंधी प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे तथा साथ ही देय अवधि से पूर्व इनका नवीनीकरण भी करवाएंगे।

3.17 सभी वाहन सतत रूप से सभी खतरों से बचाव हेतु बीमित किए जाएंगे (चालक व यात्री को सम्मिलित कर) तथा बीमा पॉलिसियों को देय अवधि से पूर्व नवीनीकृत भी किया जाएगा।

3.18 चालक सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ हमेशा रखेंगे यथा पंजीकरण के पत्र, बीमा संबंधी दस्तावेज, पीयूसी क्लीयरेंस, आरटीओ कर भुगतान के पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सभी दस्तावेज जिन्हें निर्धारित नियमों व विनियमों के तहत वाहन के साथ होने चाहिए।

3.19 किसी भी वाहन के ब्रेकडाउन हो जाने की स्थिति में निविदाकार को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के, दूरी के अनुसार, किसी भी स्थिति में दूसरा समान वाहन मुहैया करवाना सुनिश्चित करना होगा। यदि वाहन एक घंटे के भीतर मुहैया नहीं कराया जाता है तो 1000 रूपये प्रति घण्टे के हिसाब से जुर्माना देय होगा।

3.20 किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यह संविदाकार या उनके प्रतिनिधि (चालक) की जिम्मेदारी होगी कि वह पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) आदि दर्ज करवाए। सभी आरटीओ मामले तथा ट्रैफिक उल्लंघन के मामले की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

3.21 संविदा की वैधता पूर्णतया वाहन किराए की सेवा प्रदान करने तक ही है और किसी भी समय या ट्रांसपोर्टर के किसी भी या सभी कर्मचारी द्वारा रोजगार के लिए राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

निविदाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

3.22 चालक अपने साथ ईधन भरवाने, पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि चुकाने के लिए पर्याप्त राशि अपने पास रखेंगे. इस प्रकार के खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु संविदाकार अपना दावा कर सकते हैं. इन दावों के साथ पर्याप्त दस्तावेज प्रदान किए जाने होंगे।

3.23 चालकों के रहने, खाने और आवागमन की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

3.24 अंतर्कालीन अवधि के दौरान यदि संविदाकार के द्वारा कोई अस्थायी वाहन प्रदान किया जाता है तो इसके माइलेज अलग से दर्ज किए जाएंगे और महीने के लॉग बुक में जोड़े जाएंगे।

3.25 चालक अच्छे पहनावे में होने चाहिए. संविदाकार चालकों को यूनीफॉर्म यानी पोशाक प्रदान करेंगे जो ड्यूटी के वक्त उनके द्वारा पहने जाएंगे. यदि चालक अच्छी वेशभूषा में नहीं पाया गया तथा उसका व्यवहार उचित तरीके का नहीं पाया गया और असुरक्षित ड्राइविंग करता पाया गया तो विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे चालक को निलंबित कर दे और उनका प्रवेश वर्जित कर दे तथा वाहन को अनुपस्थित मान ले।

3.26 चालक सुशिक्षित होने चाहिए तथा लिखने पढ़ने योग्य होने चाहिए तथा उन्हें कम से कम तीन वर्ष का चालक का अनुभव होना चाहिए।

3.27 चालक को अपने वाहन में रखे वस्तु/सामान के प्रति सजग और सावधान होने चाहिए।

3.28 वाहन में आवागमन योग्य अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।

खंड–4
भुगतान की शर्तें

4.1 सभी बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

4.2 यदि वाहन मासिक आधार पर लिया जाता है तो निर्धारित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉगबुक की प्रतिलिपि बिल के साथ जमा कराना आवश्यक होगा।

4.3 यदि वाहन दैनिक/घंटों के आधार पर लिया जाता है तो निर्धारित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिप बिल के साथ जमा करवाना आवश्यक होगा।

4.4 भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 172/71/213–एसटी दिनांक 19 सितम्बर 2013 के अनुसार सभी शिक्षण सस्थानों को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्विस कर में छूट दी गई है इसलिए सभी बिल बिना सर्विस कर जोड़े जमा करवाए जाएं।

खंड–5
संविदा की समाप्ति

5.1 विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्वाग्रह के संविदा के उल्लंघन होने की स्थिति में संविदा को पूर्णतया या आंशिक रूप में समाप्त कर सकती है।

5.2 यदि संविदाकार किसी या सभी वाहनों को संविदा में निर्धारित समयावधि में या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त समयावधि में विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाने में असफल होता है तो।

5.3 यदि संविदाकार संविदा के तहत अन्य किन्हीं बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होता है तो।

5.4 यदि संविदा की समाप्ति की जाती है तो, 15 दिन का नोटिस लिखित में दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।

खंड–6
अधिकार क्षेत्र

6.1 इस संविदा के तहत उठने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अधिकार क्षेत्र राजस्थान व उच्च न्यायालय बेंच जयपुर होगा.

निविदाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर

खंड–7

योग्य निविदाकार

7.1 संविदाकार/एजेंसी के पास निविदा जमा करते वक्त अपना कम से कम दो (02) वाहन यथा इन्नोवा/इटिओज़/डिज़ायर/इंडिगो/अर्टिका इत्यादि हों जिनमें से 2012 से ज्यादा पुराने मॉडल के नहीं हों तथा वाहन व्यावसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत हों. यदि विश्वविद्यालय को 02 से अधिक वाहनों की एक साथ जरूरत होगी तो यह संविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि वह इनका इंतजाम कहीं से भी और किसी भी प्रकार से करे. इस संदर्भ में छूट देने का अधिकार केवल विश्वविद्यालय के पास होगा.

7.2 निविदाकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क विभाग से सेवा कर हेतु पंजीकृत होना चाहिए. यदि पूर्व से पंजीकृत न हों तो इस बात का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप में प्रदान करना होगा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र करार/संविदा के हस्ताक्षरित होने से पूर्व प्रस्तुत कर दिए जाएंगे.

7.3 निविदाकार के पास किसी भी केन्द्रीय/राज्यस्तरीय संगठनों या सार्वजनिक उपक्रमों को कम से कम दो व्यावसायिक वाहनों को पिछले दो वर्ष के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए प्रदान करने का अनुभव हो. इस संदर्भ में छूट देने का अधिकार केवल विश्वविद्यालय के पास होगा.

7.4 निविदाकार का औसत पिछले वार्षिक टर्नओवर में कम से कम 05 लाख रूपये से अधिक का रहा हो.

7.5 सभी निविदाकार को ऐसी सेवाएँ सरकारी/गैर सरकारी सगंठन/व्यक्तियों को प्रदान करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

7.6 विश्वविद्यालय विभिन्न स्थलों में अपने ट्रेवल एजेन्ट चाहता है. इसी अनुसार ट्रेवल एजेन्ट जिनके कार्यालय अजमेर/किशनगढ़ एवं बांदरसिंदरी में हों वे स्थलों के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। उन फर्मों के लिए जो अजमेर/किशनगढ़ एवं बांदरसिंदरी से वाहन प्रदान करने हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनके लिए पात्रता मानदंडों में छूट विश्वविद्यालय प्राधिकार के विवेकानुसार की जा सकती है।

खंड–8

दस्तावेजों की प्रस्तुति

निविदाकारों के योग्यता निर्धारण हेतु जमा किए जाने वाले दस्तावेज

8.1 खंड 7.1 अनुसार वाहनों के न्यूनतम संख्या हेतु मालिकाना हक/लीज के प्रमाण–पत्र.

8.2 खंड 7.2 अनुसार सेवा कर हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र या सीमा शुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को पंजीकरण हेतु लिखी गई आवेदन की प्रतिलिपि.

8.3 पार्टनरशिप फर्म या कंपनी की स्थिति में क्रमशः पंजीकृत पार्टनरशिप डीड या लेख/संघ के ज्ञापन.

8.4 निविदा दस्तावेज के खंड 7.3 के अनुसार उचित प्राधिकारी से अनुभव प्रमाण–पत्र.

खंड–9

निविदा दस्तावेज में संशोधन

9.1 निविदा जमा करने की तारीख से पूर्व विश्वविद्यालय किसी भी वक्त किसी भी कारण से अपनी पहल पर या किसी संभावित निविदाकार के स्पष्टीकरण के आधार पर निविदा दस्तावेज में परिवर्तन कर सकता है।

9.2 संशोधन की घटना को प्रेस द्वारा सूचित किया जाएगा तथा संशोधन को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा और ये संशोधन सभी संभावित निविदाकारों पर बाध्यकारी होंगे।

निविदाकार के मोहर सहित हस्ताक्षर